PIO Proj-tech.
11/5/22

अर्जन प्रभावित किसान मंच

कार्यालयः गाटा संख्या 674, ग्राम कासना, मेन सूरजपुर-कासना रोड़, सती निहालदे मंदिर वाली गली, ग्रेटर नोएड़ा, जिला गौतम बुद्ध नगर-201310

संयोजकः	सचिवः	प्रवक्ताः
धीरज सिंह	ललित कुमार	जितेन्द्र सिंह एडवोकेट
9350375102	97117[illegible]840	8745900121

R.T.I. 20538
PIO-Proj 2/05/2022

सेवा में,   दिनांकः 02/05/2022

श्रीमान जनसूचना अधिकारी
द्वारा Sh. K R Verma
श्रीमान उपमहाप्रबंधक महोदय (इंजीनियरिंग)
प्रभारी अतिक्रमण विरोधी अभियान
ग्रेनो० प्राधिकरण,

31603
2-5-22

विषयः 1. आपके विभाग द्वारा की गई **"अतिक्रमण"** शब्द की व्याख्या एंव **"अतिक्रमण"** की जद में शामिल किए जाने वाले निर्माण की **"प्रकृति"** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अधीन उपलब्ध कराए जाने

एंव

2. अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर न्यायहित व जनहित में संबंधित को उचित निर्देश जारी किए जाने हेतू प्रार्थना पत्र।

महोदय,

अवगत कराना है किः-

1. उत्तर प्रदेश शासन, भाषा-विभाग द्वारा जारी "प्रशासन शब्द कोष" (अंग्रेजी-हिन्दी) संशोधित संस्करण 1998 में **"encroach"** शब्द का अर्थ अतिक्रमण करना, अतिसर्पण करना, दबा लेना बताया गया है।

2. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा जारी "ब्रहत् प्रशासन शब्दावली" (अंग्रेजी-हिन्दी) में "encroachment" का हिन्दी अनुवाद "अधिक्रमण" बताया गया है।

3. Universal's Law Disctionary में **"encroach"** शब्द का अर्थ अतिक्रमण करना, अनाधिकार प्रवेश करना अन्याकांत करना, दबा लेना, मदाखलत करना, बताया गया है।

4. The living Webster encyclopedic of the English languagage में **"encroach"** शब्द का अर्थ to tracepass or intrude on the rights or possession of another by gradual advances बताया गया है।

5. New Webster's Dictionary and Rogets Thesaurus में **"encroach"** शब्द का अर्थ to invade the rights or possessions of another, to intude on other's property बताया गया है।

6. आपके अधीनस्थ अधिकारीयों द्वारा "**अतिक्रमण**" शब्द की व्याख्या अपनी सुविधा एंव समझ अनुसार करी जाती है जिसका कि खमियाजा अधिकतर मामलों में मजलूम और बेबस किसानों की पुश्तैनी एंव जरखरीद जमींन (**जो कि प्राधिकरण द्वारा तथाकथित अर्जन के नाम पर Urgency Clause लगाकर कानूनन अपने पक्ष में दर्ज करा ली जाती है**) पर वर्षों पुरानी बनी हुई आबादी (**जिसका कि निर्माण किसानों द्वारा अपनी जरूरत अनुसार समय-समय पर किया गया था**) को भुगतना पड़ता है जो कि अत्यंत अफसोसजनक है।

7. गौरतलब है कि ग्रेटर नोएड़ा प्राधिकरण 28/01/1991 को अस्तित्व में आया था जिसमें कि पूर्व में जिला बुलंदशहर एंव जिला गाजियाबाद में स्थित ग्रामों को प्राधिकरण हेतू अधिसूचित करा गया था। **उल्लेखनीय है कि ग्रेनो० प्राधिकरण हेतू अधिसूचित करें गए ग्रामों में इस प्रकार का कोई सर्वे/जानकारी कभी इकट्ठा ही नही की गई थी कि उन गांवों में प्राधिकरण के आने से पूर्व वहाँ पर निर्माण/आबादी की क्या स्थिति थी।**

7/1: यहाँ पर यह बताना गैर-जरूरी है कि इन गांवों में सभ्यता, जनमानस की उपस्थिति, बसावत, आबादी इत्यादि सदियों से मौजूद चली आ रही थी। इस बावत Department of District Gazetteers, U.P. Lucknow, Government Uttar Pradesh द्वारा वर्ष 1980 में Distrcit Bulandsher एंव District Ghaziabad द्वारा हेतू जारी Gazetteers में संकलित तथ्यों का संदर्भ कृप्या ग्रहण करने का कष्ट करें।

8. इसी क्रम में अवगत कराना है कि आज 30 साल गुजरने के बाद भी ग्रेनो० प्राधिकरण द्वारा गावं स्थित आबादी (**अधिसूचित क्षेत्र**) में निर्माण कार्य किए जाने/पुराने निर्माण को नियमित किए जाने की कोई नीति ही नहीं बनाई गई है। इस बावत तत्कालीन मुख्यकार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएड़ा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनउ को संबोधित प्रत्रांक 603/भूलेख/भू०प्र०/2014 दिनांक 04/07/2014 में दर्ज किए गए संबंधित तथ्यों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

"जहां तक शासन की यह अपेक्षा है कि अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसी भूमि जिसका अधिग्रहण नहीं किया गया है उसें आवासीय शिक्षा एंव चिकित्सा हेतू अनुमति अथवा नक्शा पास करने की व्यवस्था की जांए। यह एक नीतिगत विषय है तथा इस पर अलग से नीति प्राधिकरण द्वारा बनाई जा सकती है। परन्तु इसका समावेश ग्रामीण आबादी स्थल (प्रबंधन एंव विनियमितीकरण)

विनियमावली में किया जाना युक्तियुक्त नहीं है। क्योंकि प्रश्नगत नियमावली पर कोई नीति निर्धारित नहीं है। अतः शासन के संशोधन पर अलग से नीति निधारित कर प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जाएगी तथा नीति का प्रख्यापन शासन की अनुमति से किया जाएगा।" शासन को भेजे गए पत्र दिनांक 04/07/2014 की छायाप्रति पृष्ठ 1-4 पर संलग्न है।

8/1: शासन को भेजे गए उक्त पत्र दिनांक 04/07/2014 के आठ वर्ष गुजरने के बाद भी प्राधिकरण द्वारा अपनी Jurisdiction के 305 गांव में मौजूदा/भावी निर्माण को recognize/certify किए जाने एंव भावी निर्माण की approval हेतू कोई नीति ही तैयार नहीं करी गई है।

9. आपके विभाग द्वारा तथाकथित "अतिक्रमण" के नाम पर जमींदोज किए गए आबादी/निर्माण के मामलों की अगर "निष्पक्ष समीक्षा" करी जाएं तो अधिकतर मामलों में "प्रभावित किसानों/भू-स्वामियों" के मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण का दोषी आप ही के अधिकारी पाएं जाऐंगे।

9/1: हाल ही में तथाकथित अतिक्रमण के नाम पर एक किसान की कासना स्थित आबादी (**जिसकी कि मा0 उच्च न्यायालय के निर्देश पर लीज बैक की कार्यवाही करी जा रही थी**) को तोड़े जाने पर पीड़ित किसान द्वारा संबंधित अधिकारीयों को दिए गए लीगल नोटिस दिनांक 26/02/2021 का आजतक कोई जवाब नहीं दिया गया है। खेदजनक है कि संबंधित किसान द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष इस बावत दाखिल की गई रिट याचिका संख्या 25936/2021, राजेन्द्र सिंह भाटी बनाम सरकार व छः अन्य में दोषी अधिकारीयों द्वारा घोर उदण्डता का परिचय देते हुए बिना सूचना/सुनवाई आबादी तोड़े जाने के प्रकरण पर ~~कोर्ट~~ काउंटर एफीडेविट में अपनी ओर से कोई सफाई नहीं दी गई है। Show Cause Notice की छायाप्रति पृष्ठ 5-7 पर संलग्न है।

10. आपके संज्ञान में लाना है कि करीब तीन वर्ष पूर्व तत्कालीन अपरमुख्यकार्यपालक अधिकारी (जी) द्वारा ग्रामीण आवासीय भूखण्ड़ों का नियोजन किए जानें के प्रयोजन से 124 गांव की सौ एकड़ अर्जित भूमि पर अवैध कब्जे हटाने की मुहिम का आगाज किया गया था। इस बावत अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्रीमान के0के0 गुप्त के समक्ष अभ्यावेदन दिनांक 18/07/2019 दाखिल कर प्रार्थना की गई थी कि स्थापित नियमों, कानूनों एंव नीतियों के हवाले से केस-टु-केस बेसिस पर परीक्षण करने के उपरांत ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अमल में लाया जाना न्यायहित में है। श्रीमान अपरमुख्यकार्यपालक अधिकारी जी को संबोधित अभ्यावेदन दिनांक 18/07/2019 की छायाप्रति आपके अवलोकानार्थ पृष्ठ 8-17 पर संलग्न है।

11. गौरतलब है कि अर्जन पूर्व आबादी को छोड़े जाने/लीज बैक हेतू शासन द्वारा जारी किए गए शासनादेश संख्या 1216/77-3-10-184-अर्जन/09 दिनांक 24/04/2010 के आलोक में ग्राम साकीपुर स्थित आबादी के व्यवस्थापन एंव विनियमितीकरण के संबंध में तत्कालीन मुख्यकार्यपालक अधिकारी द्वारा अनुमोदित/कार्योत्तर स्वीकृति हेतू बोर्ड के समक्ष दिनांक 18/11/2010 को भेजे गए लीज बैक के मामलों में से कई काश्तकारों/भू-स्वामियों के लीज बैक प्रस्ताव के विरूद्ध वरिष्ठ प्रबंधक, वर्क सर्कल-5 द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में विकास अधिनियम-1976 की धारा-10 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर दिनांक 28/09/2021 को **श्रीमान विशेष कार्याधिकारी महोदय (एस0के0)** के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई हेतू बुलाया गया था। हालांकि सुनवाई के समय संबंधित काश्तकारों द्वारा दी गई सफाई/सबूतों को दर-किनार करते हुए कई काश्तकारों की अर्जन पूर्व मौजूद रही आबादी को **बिना ठोस आधार** अतिक्रमण बताकर तोड़े जाने की कार्यवाही संबंधित वर्क सर्कल-5 द्वारा अग्रसित है। हालांकि श्रीमान विशेष कार्याधिकारी महोदय (एस0के0) द्वारा दिनांक 28/09/2021 को की गई सुनवाई के क्रम में कोई प्रशासनिक आदेश जारी नहीं किया गया है। **न्यायहित में इस प्रकरण पर आपकी दखल-अंदाजी/समीक्षा अपेक्षित है।**

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में जनहित एंव न्यायहित में आपसे अपेक्षित कार्यवाही की प्रार्थना की जाती है।

आपसे विनम्र निवेदन है कि आपके विभाग द्वारा की गई **"अतिक्रमण"** शब्द की व्याख्या एंव **"अतिक्रमण"** की जद में शामिल किए जाने वाले निर्माण की **"प्रकृति"** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अधीन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराए जाने की कृपा करें। रूप्ये 10/- मूल्य का पोस्टल ऑर्डर संलग्न है।

आभार सहित धन्यवाद

भवदीय

22/05/2022

[illegible]त कुमार

सचिव

मो: 9[illegible]778840

प्रति सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतूः-

1. श्रीमान मुख्यकार्यपालक अधिकारी,
2. श्रीमान अपरमुख्यकार्यपालक अधिकारी **"प्रभारी अतिक्रमण विरोधी अभियान"**
3. श्रीमान वरिष्ठ प्रबंधक, वर्क सर्कल-5,
4. श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, भूलेख विभाग

ग्रेनो0 प्राधिकरण, जिला गौतम बुद्ध नगर